सख्या:-67/2022/001-1014/23-5002(002)16/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2022**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 08.10.2022 से 11.10.2022 तक जनपद लखनऊ में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस(आई0आर0सी0) के 81वें वार्षिक अधिवेशन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ(बजट 'क' वर्ग) के पत्रांक-6302बीजीजी/80बी-4/2021-2022, दिनांक 23.09.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 08.10.2022 से 11.10.2022 तक जनपद लखनऊ में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस(आई0आर0सी0) के 81वें वार्षिक अधिवेशन हेतु धनावंटन हेतु **रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-भारतीय सड़क कांग्रेस को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न सं0-E-8-150-X-2022-23, दिनांक 03.10.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-67/2022/001-1014(1)-23-5002(002)-16/2022तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(मु0-1)/(म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।